**न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।**

**सत्र वाद संख्या–689/2026**

सरकार –––––बनाम–––––गुलाम हुसेन आदि।

मु०अ०सं०–82/2026,
धारा–124(1), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–बखिरा, जनपद– सन्त कबीर नगर।

**आरोप**

मैं **रणधीर सिंह**, सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर आप अभियुक्तगण **गुलाम हुसेन** व **मंसूर आलम** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

**प्रथम–**यह कि दिनांक 15.03.2026 को समय करीब 08.30 बजे रात्रि में, बहद स्थान मोहल्ला पठान टोला बखिरा, थाना बखिरा, जिला संत कबीर नगर में मुर्गी द्वारा दरवाजे पर टट्टी करने की बात को लेकर आप लोगों द्वारा एक राय होकर वादिनी मुकदमा आसमा खातून, वादिनी की माँ अमीरून्निशा तथा वादिनी के भाई फिरोज व अफरोज पर एसिड अटैक किया गया, जिस कारण वे लोग झुलस गये। इस प्रकार आप लोगों द्वारा अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया। एतद् द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय न्याय संहिता की **धारा–124(1)** के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**द्वितीय–**यह कि, आप लोगों ने एक अन्य सहअभियुक्ता के साथ मिलकर उपरोक्त समय, स्थान, दिन को वादिनी मुकदमा आसमा खातून, वादिनी की माँ अमीरून्निशा तथा वादिनी के भाई फिरोज व अफरोज को लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित करके एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि भारतीय न्याय संहिता की **धारा–352** के अन्तर्गत एक दंड़नीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

**तृतीय–**यह कि, आप लोगों ने एक अन्य सहअभियुक्ता के साथ मिलकर उपरोक्त समय, स्थान, दिन को वादिनी मुकदमा आसमा खातून, वादिनी की माँ अमीरून्निशा तथा वादिनी के भाई फिरोज व अफरोज को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अमित्रास कारित किया, तथा इस प्रकार आप लोगों के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–**351(3)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध के अन्तर्गत किया जाएगा ।

**दिनांक–04.08.2026**

(रणधीर सिंह)
[J.O.Code–UP5761],
न्यायालय सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया समझाया गया तो अभियुक्तगण ने जुर्म से इनकार किया तथा विचारण की मांग किया।

(रणधीर सिंह)
**दिनांक–04.08.2026**
[J.O.Code–UP5761],
न्यायालय सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

**न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।**

**सत्र वाद संख्या–689/2026**

सरकार –––––बनाम–––––गुलाम हुसेन आदि।

मु०अ०सं०–82/2026,
धारा–352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–बखिरा, जनपद– सन्त कबीर नगर।

**आरोप**

मैं **रणधीर सिंह**, सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर आप अभियुक्ता **रूअफशा खातून** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

**प्रथम–**यह कि दिनांक 15.03.2026 को समय करीब 08.30 बजे रात्रि में, बहद स्थान मोहल्ला पठान टोला बखिरा, थाना बखिरा, जिला संत कबीर नगर में मुर्गी द्वारा दरवाजे पर टट्टी करने की बात को लेकर आप ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उपरोक्त समय, स्थान, दिन को वादिनी मुकदमा आसमा खातून, वादिनी की माँ अमीरून्निशा तथा वादिनी के भाई फिरोज व अफरोज को लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित करके एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि भारतीय न्याय संहिता की **धारा–352** के अन्तर्गत एक दंड़नीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

**द्वितीय–**यह कि, आपने अन्य सहअभियुक्तगऩ के साथ मिलकर उपरोक्त समय, स्थान, दिन को वादिनी मुकदमा आसमा खातून, वादिनी की माँ अमीरून्निशा तथा वादिनी के भाई फिरोज व अफरोज को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अमित्रास कारित किया, तथा इस प्रकार आप के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–**351(3)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध के अन्तर्गत किया जाएगा ।

**दिनांक–04.08.2026**

(रणधीर सिंह)
[J.O.Code–UP5761],
न्यायालय सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

आरोप पढ़कर अभियुक्ता को सुनाया समझाया गया तो अभियुक्ता ने जुर्म से इनकार किया तथा विचारण की मांग किया।

(रणधीर सिंह)

**दिनांक–04.08.2026**

[J.O.Code–UP5761],
न्यायालय सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

**न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।**

**सत्र वाद संख्या–689/2026**

सरकार –––––बनाम–––––गुलाम हुसेन आदि।

मु०अ०सं०–82/2026,
धारा–124(1), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–बखिरा, जनपद– सन्त कबीर नगर।

04.08.2026–

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **गुलाम हुसेन, मंसूर आलम** व **रूअफशा खातून** न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। पत्रावली आरोप हेतु नियत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध है।

अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कोई आरोप विरचित नहीं होता है।

उभय पक्ष के उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट, उपरोक्त बयानात साक्षीगण व अन्य, निरीक्षण घटनास्थल, चिकित्सकीय आख्या, बयान चिकित्सक एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण **गुलाम हुसेन व मंसूर आलम** के विरुद्ध धारा 124(1), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व **अभियुक्ता रूअफशा खातून** के विरुद्ध धारा 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः अभियुक्तगण **गुलाम हुसेन** व **मंसूर आलम** के विरुद्ध धारा 124(1), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व **अभियुक्ता रूअफशा खातून** के विरुद्ध धारा 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप विरचित किया गया एवं पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया व विचारण की मांग की।

अतः पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक .2026 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिए सम्मन तलब हो।

**(रणधीर सिंह)**
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by RANDHEER SINGH
Date: 2026.08.04 16:18:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court